International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

भारत में पर्यावरण कानूनः क्रियान्वयन व चुनौतियाँ

डॉ. आशुतोष मीणा[1] डॉ. अंशुरानी सक्सेना[2]

[1]सहायक प्रोफेसर–लोकप्रशासन राजकीय महाविद्यालय नांगल राजावतान (दौसा)
[2]प्रोफेसर– वनस्पति शास्त्र राजकीय पीजी महाविद्यालय आबूरोड़

शोध सारांशः
पर्यावरण संरक्षण वैश्विक चिंतन का विषय है। पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत भी लगातार प्रयासरत है। भारत में पर्यावरण संरक्षण पर कानूनों की कोई कमी नहीं है लेकिन इन कानूनों का सफल क्रियान्वयन एक चुनौती है। भारत में संवैधानिक प्रावधान एवं पर्यावरणीय कानूनों के प्रभावी, सफल और सुनियोजित क्रियान्वयन की तत्काल आवश्यकता है। इस दिशा में भारत की न्यायपालिका और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रचनात्मक और नवाचारपरक भूमिका महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48–ए और 51–ए(जी) में निहित प्रावधानों के तहत प्रदूषण नियंत्रण में विफल रहने पर कई उद्योगों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भारत के प्रत्येक राज्य में कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों से युक्त एक न्यायिक निकाय स्थापित करना आवश्यक है। भारतीय परिदृश्य में पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना एक ऐसा कार्य है जिसे न केवल सरकार बल्कि प्रत्येक व्यक्ति, संघ, समाज, उद्योग और निगम को भी करना चाहिए। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51–ए(जी) में निहित एक सामाजिक बाध्यता और मौलिक कर्तव्य है। प्रस्तुत शोधपत्र में पर्यावरण से संबंधित विभिन्न भारतीय कानूनों को संक्षेप में रेखांकित करने का प्रयास किया गया है जो कि भारत में पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए प्रासंगिक हैं। इन कानूनों के क्रियान्वयन का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है। पर्यावरण संरक्षण हेतु कुछ सुझाव भी दिये गये हैं।

सांकेतिक शब्द– पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन, वायुप्रदूषण, जल प्रदूषण, पीआईएल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मौलिक कर्तव्य

प्रस्तावनाः–
आजकल पर्यावरण सुरक्षा, संरक्षण और सुधार भारत सहित पूरे विश्व में मुख्य चिंता का विषय है। पर्यावरण शब्द में भौतिक व जैविक पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी पर्यावरण शामिल हैं। भौतिक पर्यावरण में भूमि, जल और वायु एवं जैविक पर्यावरण में पेड़ पौधे, जीव–जन्तुओं से संबंधित विषय शामिल हैं। भौतिक एवं जैविक पर्यावरण दोनों परस्पर निर्भर एवं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत में औद्योगीकरण, शहरीकरण, जनसंख्या विस्फोट, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, प्राकृतिक पारिस्थितिकी संतुलन में व्यवधान उत्पन्न किया है साथ ही जानवरों और पौधों की कई प्रजातियों के विनाश ने पर्यावरण को नष्ट किया है। एक देश के पर्यावरण असंतुलन से दुनिया के सभी देशों का वैश्विक पर्यावरण दूषित हो जाता है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है और भारत भी इससे अछूता नहीं है।

संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधानः–
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के लिए 1972 की स्टॉकहोम घोषणा पहला बड़ा प्रयास था। इस घोषणा के परिणामस्वरूप देशों को पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए कानून बनाना आवश्यक था। इसी कारण भारतीय संसद ने 1976 में भारतीय संविधान में दो अनुच्छेद 48–ए और 51–ए शामिल किए।[1] संविधान का अनुच्छेद 48–ए निर्देश देता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा व सुधार और वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51–ए(जी) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह जंगलों, झीलों, नदी और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के साथ जीवित प्राणियों के प्रति दया रखे।

अनुच्छेद 48–ए और 51–ए(जी) दोनों का प्रभाव यह है कि राज्य के साथ–साथ नागरिक भी अब भारत की पर्यावरणीय स्थितियों की सुरक्षा और सुधार के लिए संवैधानिक जिम्मेदारी के अधीन हैं। हर पीढ़ी का कर्तव्य है कि वह भारत के प्राकृतिक और मूल संसाधनों को विकसित और संरक्षित करे।

पर्यावरणीय स्थितियों की रक्षा और सुधार के लिए संवैधानिक प्रावधानों के अलावा कानूनों की भी लम्बी श्रृंखला है। इनमें मुख्य हैं– वन संरक्षण अधिनियम 1980, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010, जैविक विविधता अधिनियम 2002 और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन एवं हैंडलिंग संशोधन नियम 2003 आदि।[2]

जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 किसी भी जहरीली, हानिकारक या प्रदूषणकारी सामग्री को किसी भी जल स्रोत, धारा या कुए में प्रवाहित करने से रोकता है। यह अधिनियम केंद्र में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गठन का प्रावधान करता है। नए उद्योगों को किसी भी व्यापारिक अपशिष्ट पदार्थ व सीवेज को पानी के स्रोतों में प्रवाहित करने से पहले उक्त बोर्डों की पूर्व मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है।

जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977 का उद्देश्य जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए बने केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्डों के संसाधनों को बढावा देने के लिए कुछ उद्योगों व कारखानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पानी पर उपकर लगाना है। इसका उद्देश्य उन लोगों से धन वसूलना है जिनके कार्यों से प्रदूषण होता है और उन्हें ऐसे बोर्डों के रखरखाव और संचालन का खर्च वहन करना होगा। जो उद्योग और कारखाने सीवेज, व्यापार अपशिष्ट पदार्थ या अपशिष्ट जल के लिए उपचार संयंत्र स्थापित करते हैं, उन्हें 25 प्रतिशत की सीमा तक छूट मिल सकती है।

वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 को जलवायु में वायु प्रदूषण को कम करने, रोकने व नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अधिनियम में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में कोई औद्योगिक संयंत्र स्थापित नहीं करेगा। स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि उद्योग और कारखाने चलाने वाले व्यक्ति ऐसे बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक वायु प्रदूषक का उत्सर्जन नहीं करेंगे।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर्यावरण की गुणवत्ता की सुरक्षा और सुधार, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने व नियंत्रित करने के लिए अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया। पर्यावरण की परिभाषा में पौधों और सूक्ष्म जीवों सहित सभी जीवित प्राणियों और जल, वायु और भूमि के साथ उनके संबंध समाहित हैं। यह अधिनियम एक अम्ब्रेला कानून है जिसे जल अधिनियम और वायु अधिनियम जैसे कानूनों के तहत स्थापित विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों की गतिविधियों को एक साथ लाने के लिए डिजाइन किया गया है।

राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 कारखानों में किसी भी खतरनाक सामग्री के संचालन के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना पर उद्यम के मालिक को मुआवजा देने के लिए बाध्य करता है। इसमें राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान है। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनतर्गत जिन क्षेत्रों में कोई भी उद्योग व कारखानों का संचालन या प्रक्रियाएं नहीं की जाएंगी उनके प्रतिबंध के संबंध में अपील सुनने के लिए एक राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस प्राधिकरण की स्थापना के बाद किसी भी सिविल न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के पास पर्यावरण के मामलों पर अपील का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट पक्षियों और जानवरों के शिकार और जंगल से किसी निर्दिष्ट पौधे को नुकसान पहुंचाने पर भी रोक लगाता है। वनों के विश्लेषण और वनों की कटाई की जाँच करने के उद्देश्य से वन संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया जिसके अनुसार केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना वनों के विध्वंस या गैर–वन उद्देश्यों के लिए वनभूमि के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती। वनों के संरक्षण में न केवल मौजूदा वनों का संरक्षण और सुरक्षा शामिल है बल्कि पुनर्वनीकरण भी शामिल है।

भारत में जल अधिनियम और वायु अधिनियम केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा प्रशासित होते हैं। इन बोर्डों को प्रदूषण फैलाने वाली इकाई को पानी, बिजली या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति को बंद करने सहित कोई भी निर्देश जारी करने की व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार ने भारत में कुछ मुख्य उद्योगों जैसे सीमेंट, कास्टिक सोडा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, चीनी उद्योग, मानव निर्मित फाइबर, तेल–रिफाइनरी, सूती कपडा, थर्मल पावर प्लांट, स्टोन क्रशिंग यूनिट, मिश्रित ऊनी मिलें आदि से संबंधित

पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन के लिए मानक निर्धारित करते हुए पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 बनाया। कुछ अन्य एजेंसियां भी मानक तैयार करती हैं जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ब्यूरो ऑफ भारतीय मानक और स्थानीय प्राधिकरण। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही प्रकार के उद्योगों के लिए प्रदूषण नियंत्रण मानकों की भरमार है। हालाँकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, हवा, पानी, मिट्टी आदि की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। आशा है कि इससे पूरे देश में मानकों की समानता सुनिश्चित होगी। प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के तहत बहुत सारे मानक अभी तक विशिष्ट रूप से निर्धारित नहीं किए गए हैं।

स्पष्ट है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण पर कानूनों की कोई कमी नहीं है। लेकिन इन कानूनों को लागू करने की स्थिति संतोषजनक नहीं है। भारत में संवैधानिक प्रावधान और अन्य पर्यावरण कानूनों के प्रभावी, त्वरित और कुशल क्रियान्वयन की आवश्यकता ळे

न्यायपालिका की भूमिकाः–

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण के क्षेत्र में अपने विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से माना है कि जीवन के अधिकार में प्राकृतिक, स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण, पीने के पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण का अधिकार भी शामिल है। इस सम्बंध में श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर केस[3] महत्वपूर्ण केस है।

गंगा जल प्रदूषण मामले[4] में कानपुर के पास कुछ चमड़े के कारखानों के मालिक प्राथमिक उपचार संयंत्र स्थापित किए बिना अपने उद्योगों से व्यापारिक अपशिष्ट पदार्थों को गंगा नदी में प्रवाहित कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन कारखानों को चलाने पर रोक लगा दी और निर्देश दिया कि व्यापार अपशिष्ट पदार्थ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्राथमिक उपचार संयंत्र स्थापित किए बिना गंगा नदी में नहीं जाने दिया जाए।

ताज महल के मामले[5] में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए कि ताज ट्रैपेजयिम जोन में ताज महल को नुकसान पहुंचा रहे कोयला और कोक आधारित उद्योग व कारखानों को ताज ट्रैपेजयिम के बाहर स्थानांतरित किया जाए। शीर्ष अदालत ने वन विभाग द्वारा ताज महल के आसपास लगाए गए पौधों की सुरक्षा करने का निर्देश भी दिया।

2001 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू बीड़ी, सिगरेट के धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि धूम्रपान न केवल धूम्रपान करने वालों को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि धूम्रपान नहीं करने वालों को भी नुकसान पहुँचाता है।[6] लेकिन इस प्रतिबंध की किसी को परवाह नहीं है। सिगरेट, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पाद, तंबाकू मुक्त रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, सिनेमा घरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम बेचे जाते हैं।

देहरादून घाटी मामले[7] में, हिमालय की मसूरी पर्वत श्रृंखला में बेतरतीब और खतरनाक चूना पत्थर की खुदाई, डायनामाइट से नष्ट होने वाली पहाड़ियों और हजारों एकड़ चूना पत्थर की खदानों ने घाटी की जल विज्ञान प्रणाली को नुकसान पहुँचाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहाड़ियों में चूना पत्थर की खदान बंद करने का आदेश दिया और कहा कि लोगों के स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण में रहने के अधिकार की रक्षा के लिए यह आवश्यक है।

सुब्बा राव बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य केस[8] में सर्वोच्च न्यायालय ने एक हड्डी कारखाने को बंद करने का आदेश दिया जो अपनी तीखी गंध से पर्यावरण को प्रदूषित कर लोगों की परेशानी का कारण बन रहा था। न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की कीमत पर कोई भी व्यवसाय नहीं किया जा सकता। बड़कल और सूरजकुंड के पर्यटक रिसॉर्ट्स के आसपास के क्षेत्र में पर्यावरण को संरक्षित करने और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों पर्यटक रिसॉर्ट्स के दो किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधि रोकने का निर्देश दिया।[9]

भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया के प्रदूषित शहरों में से एक है। यहाँ आसपास की हवा इतनी प्रदूषित है कि लोग श्वसन संबंधी बीमारियों और गले के संक्रमण से पीड़ित हैं। पेयजल आपूर्ति का मुख्य स्रोत यमुना नदी, सीवरेज और औद्योगिक अपशिष्ट के लिए निःशुल्क डंपिंग स्थान है। वायु और जल प्रदूषण के अलावा, शहर लगभग एक खुला कूड़ेदान है। पूरी दिल्ली में बिखरा हुआ कूड़ा आम दृश्य है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रित करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली में बसों और टैक्सियों सहित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली सीएनजी मोड पर चलाई गयी। दिल्ली सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए निर्देश पर वाहनों के लिए ऑड एंड इवन फॉर्मूले का आदेश पारित किया। वायु अधिनियम में शोर को वायु प्रदूषक के रूप में लिया गया है। वायु अधिनियम ध्वनि प्रदूषण को भी रोकता है।

'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' के अनुसार प्रदूषण से होने वाले नुकसान को रोकने की वित्तीय लागत उन उद्यमों से वसूलनी चाहिए जो प्रदूषण फैलाते हैं। प्रदूषक भुगतान सिद्धांत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई कि– इसका मतलब प्रदूषक न केवल प्रदूषण के पीड़ितों को भुगतान करेगा बल्कि क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र को पुनःबहाल करने की लागत का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत में पर्यावरण की स्थिति की सुरक्षा और सुधार के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका की रचनात्मक एवं नवाचार वाली भूमिका प्रशंसनीय है।

समस्याः–
पिछले कुछ वर्षों में न्यायालयों के समक्ष पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिकी विनाश और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से संबंधित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। इनमें से अधिकांश मामलों में न्यायिक निर्णय लेने के लिए पर्यावरण न्यायालय और प्राकृतिक वैज्ञानिक विशेषज्ञता व तकनीकी ज्ञान से संबंधित उच्च स्तर की विशेषज्ञता की आवश्यकता है।

जल अधिनियम, वायु अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत सामान्य आपराधिक न्यायालयों में शुरू किया गया अभियोजन या तो इन न्यायालयों में काम के बोझ के कारण या उचित मूल्यांकन नहीं होने के कारण अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है या उनके लिए पर्यावरण का महत्व मायने नहीं रखता है।

इसके अलावा, जल अधिनियम, वायु अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किसी भी आदेश पर अदालतों में उद्योग मालिकों द्वारा तुरंत सवाल उठाया जाता है।

न्यायिक प्रक्रियाओं को निष्कर्ष तक पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं। कई बार इस बीच अंतरिम आदेश पारित कर दिए जाते हैं जिससे अधिकारी अपने आदेशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में अक्षम हो जाते हैं।

सुझाव एवं निष्कर्षः–
पर्यावरण कानूनों के क्रियान्वयन में देरी को कम करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसी अलग मशीनरी स्थापित करना नितांत आवश्यक है। मामलों के त्वरित निपटान के लिए अदालतों को संक्षिप्त व त्वरित कार्यवाही करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
न्यायिक अधिकारी अकेले तार्किक और तकनीकी पहलुओं की समझ रखने में सक्षम नहीं हो सकते। इसलिए एक न्यायाधीश और पारिस्थितिकी व विज्ञान के एक विशेषज्ञ के साथ पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया जाए। शुरूआत में दो–स्तरीय प्रणाली हो सकती है एक राज्य स्तर पर और दूसरी राष्ट्रीय स्तर पर जिसे बाद में जिला स्तर पर भी स्थापित किया जा सकता है। ऐसे पर्यावरण न्यायालयों को विभिन्न पर्यावरण कानूनों के तहत आपराधिक अभियोजन मामलों और पर्यावरणीय क्षति या प्रदूषण से पीड़ितों को मुआवजे के सिविल मामलों, दोनों का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र सौंपा जा सकता है।

राज्य पर्यावरण न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायालय में अपील की जा सकती है और राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

भारत में पर्यावरणीय मुद्दों और समस्याओं से सम्बंधित 200 से अधिक केंद्रीय और राज्य विधान और कानून हैं। अधिक कानूनों का अर्थ है इनके क्रियान्वयन में अधिक कठिनाइयाँ। इसलिए भारत में पर्यावरण संरक्षण के सार्थक क्रियान्वयन के लिए एक पूर्ण और एकीकृत कानून की आवश्यकता है। इन कानूनों के प्रभावी, त्वरित और कुशल क्रियान्वयन के लिए समाज में हर किसी की ओर से सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है।

पर्यावरण संरक्षण कानून वांछित परिणाम लाने में विफल रहे हैं। नतीजतन इन कानूनों के कुशल और प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पर्यावरण विज्ञान और पारिस्थितिकी के क्षेत्र से एक न्यायाधीश और दो तकनीकी विशेषज्ञों के साथ पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना करना आवश्यक है। प्रारंभ में हमारे पास राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी अदालतें हो सकती हैं जिन्हें बाद में आवश्यकतानुसार जिला स्तर तक बढाया जा सकता है। लंबी मुकदमेबाजी को हतोत्साहित करने के लिए प्रावधानों को एकल अपील तक सीमित रखा जाना

चाहिए। पर्यावरण कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए अदालतों को केवल गलत बयानी और तकनीकी खामियों की अनदेखी करनी चाहिए। जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का विस्तार हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने समय–समय पर प्रशासनिक अधिकारियों को पर्यावरण में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमें नीचे से सामाजिक जागरूकता की जरूरत है, ऊपर से कानून की नहीं, कोई भी कानून तब तक सुचारू रूप से काम नहीं करता जब तक कि अंतःक्रिया स्वैच्छिक न हो। पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए सिनेमाघरों, टेलीविजन व सार्वजनिक स्थानों पर क्षेत्रीय भाषाओं में स्लाइडों का निःशुल्क विज्ञापन होना चाहिए। इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, पर्यावरण अध्ययन को स्कूल और कॉलेज स्तर पर अनिवार्य विषय बनाया जाए ताकि जागरूकता में वृद्धि हो। अंततः पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिकी संतुलन को अप्रभावित रखना एक ऐसा कार्य है जिसे न केवल सरकार बल्कि प्रत्येक व्यक्ति, संघ और निगम को भी करना चाहिए। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51–ए(जी) में निहित सामाजिक दायित्व और मौलिक कर्तव्य है।

सन्दर्भ सूचीः–

1. 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 भारती
2. भारतीय वन अधिनियम 1927, फैक्टरीज एक्ट 1948, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962
3. एमसी मेहता बनाम भारत सरकार AIR 1987 SC 1086
4. भवानी रिवर बनाम शक्ति सुगर लिमिटेड AIR 1998 SC 2059
5. एमसी मेहता बनाम भारत सरकार AIR 1999 SC 3192; & एमसी मेहता बनाम भारत सरकार [2001] 9 SCC 520
6. मुरली एस. देवड़ा बनाम भारत सरकार [2001] 3 SCC 765
7. रूरल लिटिगेशन एंड एनटाईटलमेंट केन्द्र बनाम उत्तरप्रदेश 1985 SC 652
8. AIR 1989 SC 171
9. एमसी मेहता बनाम भारत सरकार [1996] 4 SCC 351.
10. AIR 1980 SC 1622.